न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

R.M.R No.-02/2019-20

विश्वजीत मंडल वगैरह

बनाम

लोकमान शेख

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजन वाद रिविजनकर्त्ता विश्वजीत मंडल एवं 16 आना रैयत मौजा–पलासी थाना– महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के लगान धार्य वाद सं0–18/2019–20 में दिनांक 19.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. लोकमान शेख 2. उस्मान शेख 3. इरफान शेख 4. आजाद शेख 5. बहाब शेख एवं मबीआतुन बीबी सभी का सा0–सोल्ला, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। सुनवाई के कम में विपक्षी सं0–01 लोकमान शेख, विपक्षी सं0–02 उस्मान शेख एवं विपक्षी सं0–04 आजाद शेख की मृत्यु हो जाने के कारण लोकमान शेख के पुत्र जमान शेख, उस्मान शेख के पुत्र बुधू शेख, लोखो शेख एवं बबलू शेख तथा आजाद शेख के पुत्र जाकीर शेख, अजाद शेख, शाहरूख शेख एवं मीलू शेख को पक्षकार बनाया गया।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल पाकुड़िया के मौजा–पलासी नं0–140 के खाता सं0–135 के दाग सं0–423 अन्तर्गत रकवा 10–11–15 धुर जमीन का लगान निर्धारण हेतु बहाब शेख (इस वाद के विपक्षी सं0–05) एवं एक अन्य व्यक्ति के द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़िया को आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन पर जांचोपरान्त अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के पत्रांक 350/रा0, दिनांक 19.07.2019 के द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं प्रपत्र–एम भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजा गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर लगान धार्य वाद सं0–18/2019–20 प्रारंभ करते हुए दिनांक 19.09.2019 को पारित आदेश द्वारा इस वाद के विपक्षीगण के पक्ष में लगान निर्धारण की स्वीकृति दी गई। यह रिविजन वाद इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। विपक्षी के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल किया गया है।

रिविजनकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की भूमि है। उक्त भूमि खतियान में नाला कहकर दर्ज है। जमीन्दार ऐसी भूमि की बन्दोबस्ती नहीं कर

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

सकते है। यह भी कहा गया कि महेशपुर राज के तत्कालीन जमीन्दार स्व0 इन्द्र नारायण सिंह थे। जिनके द्वारा एक Will छोड़ा गया था। उक्त Will के आधार पर एक हरेन्द्र नारायण दास को सबजज, भागलपुर द्वारा दिनांक 18.08.1944 को रिसिवर नियुक्त किया गया था। अतः केवल हरेन्द्र नारायण दास ही महेशपुर राज इस्टेट की भूमि को बेच सकते थे या बन्दोबस्त कर सकते थे। प्रश्नगत मामले में बन्दोबस्ती पट्टा हरेन्द्र नारायण दास द्वारा निर्गत नहीं है। परन्तु रिविजनकर्त्ता द्वारा अपने उक्त दावे के समर्थन में कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा 16 आना रैयतों को वास्तविक रूप से नोटिस निर्गत नहीं किया गया, केवल खानापूर्ति की गई। 16 आना रैयतों के नाम पर केवल कुछ व्यक्तियों का जाली हस्ताक्षर कर नोटिस तामिला दिखलाया गया।

उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज नेजाम शेख को तत्कालीन जमीन्दार के द्वारा वर्ष 1944 में बन्दोबस्ती में दी गई थी। प्रश्नगत मौजा खास मौजा है एवं खास मौजा में जमीन्दार को किसी भी तरह की भूमि बन्दोबस्त करने का अधिकार था एवं उस समय के अधिनियम में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी।

SPT Act 1949 वर्ष 1949 से प्रभावी है एवं इसके पूर्व के मामलों में यह अधिनियम प्रभावी नहीं है। प्रश्नगत भूमि को बन्दोबस्ती पट्टा में ''खाल नाला'' कह कर बन्दोबस्त किया गया है, प्रश्नगत भूमि किसी भी रूप में नाला नहीं है, यह खाल नाला है। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि बन्दोबस्ती के बाद पूर्वजों के समय से ही उनके शान्तिपूर्ण भोग दखल में रही है तथा इस आधार पर Adverse possession भी हो गया है। प्रश्नगत भूमि सैरात नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर वर्षो पूर्व से ही रैयती हक उत्पन्न हो चुका है।

उनके द्वारा कहा गया कि जमीन्दार के समय से ही वे प्रश्नगत भूमि का लगान सरकार को देते आ रहे है, जो उनके वैध दखल–कब्जा एवं इस जमीन पर उनके रैयती हक को दर्शाता है। प्रश्नगत भूमि पंजी–II में दर्ज थी एवं लगान रसीद निर्गत किया जाता था।

Scanned with CamScanner

की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

परन्तु अचानक यह कहकर लगान लेना बन्द कर दिया गया कि पंजी–II फट गया है। जिसके कारण लगान निर्धारण कराना पड़ा। प्रश्नगत तालाब को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ न्यायालय में रे0मिस0 वाद सं0–335/1949–50 चला था जिसमें प्रश्नगत तालाब से सिंचाई के लिए पानी नहीं देने की शिकायत की गई थी। उक्त वाद अन्ततः drop कर दिया गया था। जिससे उक्त तालाब पर बन्दोबस्तधारक का दखल प्रमाणित होता है। कुछ वर्ष पूर्व भी मछली चोरी का विवाद हुआ था जिसमें ग्रामीणों के बीच पंचायत हुई थी एवं जिसमें इस तरह की गलती भविष्य में नहीं दुहराने का समझौता हुआ था जिसे दिनांक 16.11.2016 को लिखित रूप दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिस किया गया था एवं आपत्ति की मांग की गई थी। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर लगान निर्धारण किया गया।

उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

निम्न न्यायालय के अभिलेख सहित सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया था जिसमें कुल 17 व्यक्तियों का हस्ताक्षर/टीप निशान है। उक्त नोटिस में हिन्दी, बंगला एवं अंग्रेजी में किए गए हस्ताक्षर एवं टीप निशान से प्रतीत होता है कि नोटिस अलग–अलग व्यक्तियों को किया गया था एवं तामिला प्रतिवेदन अंकित किया गया था।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल लगान रसीदों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा जमीन्दार के साथ–साथ राज्य सरकार को भी वर्ष 1953–54 से लगान अदा किया जाता रहा है, जो प्रश्नगत भूमि पर उनके दखल एवं रैयती हक को दर्शाता है। रिविजनकर्त्ता का कहना है कि सब–जज भागलपुर द्वारा नियुक्त रिसिवर हरेन्द्र नारायण दास को ही बन्दोबस्ती दिए जाने का अधिकार था। परन्तु रिविजनकर्त्ता द्वारा इस संबंध में कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है।

विपक्षी को भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा वर्ष 1944 में बन्दोबस्ती पट्टा के माध्यम से प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती की गई थी तथा जमींदार को खास मौजा में भूमि की बन्दोबस्ती का अधिकार था।

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	उपर्युक्त विवेचना के आधार पर रिविजन आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान में वर्णित किस्म तथा बन्दोबस्ती पट्टा में अंकित किस्म में से खतियान में वर्णित किस्म का ही अपने आदेश में उल्लेख करेंगे। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, पाकुड़। उ पा यु क्त, पाकुड़।	

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.02 18:00:38 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

Scanned with CamScanner